संख्या-784/22-2-2015-17(194)/2009

प्रेषक,

पलबिन्दर सिंह
उप सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 18 नवम्बर 2015

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्व बन्दी ज्ञान प्रकाश राय पुत्र श्री उमा शंकर राय निवासी जनपद जौनपुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-40682/प्रोबेशन-3(एम-11-09-2015) दिनांक-14/15-9-2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी ज्ञान प्रकाश राय पुत्र श्री उमा शंकर राय, ग्राम-लखमीपुर, थाना-जलालपुर, जनपद-जौनपुर का निवासी है। ग्राम प्रधान की चुनावी रंजिश में दिनांक 22/23-03-1984 की रात्री में हुयी हत्या एवं अभियुक्तगण की जमानत हो जाने से नाराज होकर बन्दी ने दिनांक 07/08-05-1984 की मध्य रात्रि लगभग 01:00 बजे 14 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, कट्टा एवं लाठी से मारकर 11 व्यक्तियों की हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-203/1984 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-148, 149, 307, 302 के अन्तर्गत मा0 विशेष सत्र न्यायाधीश, जौनपुर द्वारा दिनांक 27-02-1996 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25-08-2015 तक 31 वर्ष 03 माह 15 दिन की अपरिहार तथा 37 वर्ष 09 माह 14 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण असंतोषजनक तथा जेल दण्ड 02 है। बन्दी के 06 सहअभियुक्त मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किये गये, 04 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्व है, 01 सहअभियुक्त मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में कारागार से रिहा हो चुके है, 03 सहअभियुक्तों की मृत्यु हो चुकी है। जिस परिवार में हत्या हुयी थी वह परिवार आज भी सशंकित है। बन्दी द्वारा पुन: अपराध करने की आशंका है के आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। गांव में पता करने पर भविष्य में अपराध करने की शंका व्यक्त किया जा रहा है। जिस परिवार में हत्या हुयी थी वह परिवार आज भी संशकित है आदि के आधार पर पुलिस अधीक्षक, जौनपुर द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की सस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जेल आचरण असंतोषजनक होने, 02 जेल दण्ड होने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी ज्ञान प्रकाश राय पुत्र श्री उमा शंकर राय, निवासी जनपद-जौनपुर को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी ज्ञान प्रकाश राय (बन्दी संख्या-41924) पुत्र श्री उमा शंकर राय निवासी ग्राम-लखमीपुर, थाना-जलालपुर, जनपद-जौनपुर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(पलबिन्दर सिंह)
उप सचिव।

संख्या-784/(1)/22-2-2014 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी ।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पलबिन्दर सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सख्या-784@22-2-2015-17(194)/2009

दिनांक 18 नवम्बर, 2015 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्व बन्दी ज्ञान प्रकाश राय (बन्दी संख्या-41924) पुत्र श्री उमा शंकर राय निवासी ग्राम-लखमीपुर, थाना-जलालपुर, जनपद-जौनपुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में महानिरीक्षक, कारागार द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी ज्ञान प्रकाश राय पुत्र श्री उमा शंकर राय, ग्राम-लखमीपुर, थाना-जलालपुर, जनपद-जौनपुर का निवासी है। ग्राम प्रधान की चुनावी रंजिश में दिनांक 22/23-03-1984 की रात्री में हुयी हत्या एवं अभियुक्तगण की जमानत हो जाने से नाराज होकर बन्दी ने दिनांक 07/08-05-1984 की मध्य रात्रि लगभग 01:00 बजे 14 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, कट्टा एवं लाठी से मारकर 11 व्यक्तियों की हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-203/1984 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-148, 149, 307, 302 के अन्तर्गत मा0 विशेष सत्र न्यायाधीश, जौनपुर द्वारा दिनांक 27-02-1996 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25-08-2015 तक 31 वर्ष 03 माह 15 दिन की अपरिहार तथा 37 वर्ष 09 माह 14 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण असंतोषजनक तथा जेल दण्ड 02 है। बन्दी के 06 सहअभियुक्त मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किये गये, 04 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्व है, 01 सहअभियुक्त मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में कारागार से रिहा हो चुके है, 03 सहअभियुक्तों की मृत्यु हो चुकी है। जिल परिवार में हत्या हुयी थी वह परिवार आज भी सशंकित है। बन्दी द्वारा पुन: अपराध करने की आशंका है के आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। गांव में पता करने पर भविष्य में अपराध करने की शंका व्यक्त किया जा रहा है। जिस परिवार में हत्या हुयी थी वह परिवार आज भी संशकित है आदि के आधार पर पुलिस अधीक्षक, जौनपुर द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की सस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जेल आचरण असंतोषजनक होने, 02 जेल दण्ड होने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी ज्ञान प्रकाश राय पुत्र श्री उमा शंकर राय, निवासी जनपद-जौनपुर को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(पलबिन्दर सिंह)

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in